एस.एस. निज्जर और जे.एस. न्यायमूर्ति के समक्ष

जगत प्रीत कौर चड्ढा और अन्य,-याचिकाकर्ता
बनाम
पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य,- उत्तरदाता

सी.डब्ल्यू.पी. न`। 2004 का 11140
25 सितम्बर 2004

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14, 16 और 226 - प्रवेश परीक्षा के आधार पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश - खेल श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों के खिलाफ प्रवेश चाहने वाले याचिकाकर्ता - काउंसलिंग से पहले विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने का मानदंड निर्धारित करता है - याचिकाकर्ता असफल हो रहे हैं न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने के लिए - सूची से बहिष्करण - विश्वविद्यालय के मूल प्रॉस्पेक्टस में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने के मानदंड शामिल नहीं हैं, क्या विश्वविद्यालय न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने के मानदंड पेश कर सकता है प्रॉस्पेक्टस के प्रकाशन के बाद कुल अंकों में कटौती- आयोजित, हाँ- यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल योग्य उम्मीदवारों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है, पात्रता के लिए योग्यता के निर्धारण के लिए न्यूनतम योग्यता अंक आवश्यक कारक हैं- याचिकाकर्ताओं के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है- याचिका ख़ारिज किये जाने योग्य है.

माना गया कि न्यूनतम पात्रता मानदंड निर्धारित करने को बार-बार और सशक्त रूप से अनुमोदित किया गया है। हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि याचिकाकर्ताओं के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है। उत्तरदाताओं द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि पहले के वर्षों में, न्यूनतम योग्यता अंक हमेशा 15% रखे गए थे। यह स्थिति सभी अभ्यर्थियों को भली-भांति ज्ञात थी। याचिकाकर्ता ने स्वयं कहा है कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रॉस्पेक्टस में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया था कि न्यूनतम कट-ऑफ कुल 15% अंक होगा। उत्तरदाताओं-विश्वविद्यालय ने केवल वे मानदंड पेश किए हैं जो न्यूनतम शैक्षणिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करते हैं जो एक छात्र के लिए आवश्यक होगी जो अंततः इंजीनियर बन जाएगा।

(पैरा 7)

इसके अलावा, यह माना गया कि विश्वविद्यालय ने केवल न्यूनतम योग्यता अंकों को फिर से लागू किया है, जिन्हें पेशेवर कॉलेजों से डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की पात्रता के लिए योग्यता के निर्धारण के लिए एक आवश्यक कारक माना गया है। इसे अयोग्य उम्मीदवारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए पेश नहीं किया गया है। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है कि केवल योग्य उम्मीदवारों को ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाए।

(पैरा 10)

पी.एस.पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता और डी.एस.पटवालिया, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के लिए।

आर.एन. रनिया, वकील, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए।

प्रतिवादी संख्या 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14 और 19 के लिए वकील संजीव बंसल।

प्रतिवादी संख्या 9 के लिए वकील कपिल शर्मा।

एस.के.हुंडा, वकील

## निर्णय

**एस.एस. निज्जर, न्यायमूर्ति (मौखिक)**

(1) हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और पेपर-बुक का अवलोकन किया है।

(2) उत्तरदाताओं द्वारा अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। वे खेल श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश चाह रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (इसके बाद इसे "सी.बी.एस.ई.") द्वारा आयोजित अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (बाद में इसे "एआईईईई" कहा जाएगा) के लिए आवेदन किया था। परीक्षा 21 मई, 2004 को आयोजित की गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 यानी क्रमशः पंजाब विश्वविद्यालय और केमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय ने केमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विभाग की सभी सीटों पर प्रवेश के आधार पर किया है। शैक्षणिक सत्र 2004-2005 के लिए एआईईईई-04 परीक्षा। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ ने भी उपरोक्त परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिए हैं। सी.बी.एस.ई. ने प्रॉस्पेक्टस प्रकाशित किया था जिसे "सूचना बुलेटिन और

आवेदन पत्र" (अनुलग्नक पी-5) के नाम से जाना जाता है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2004 थी। परीक्षा की तिथि 9-10 मई, 2004 तय की गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना स्वयं का प्रॉस्पेक्टस भी प्रकाशित किया था जो अनुलग्नक पी-6 के रूप में रिट याचिका से जुड़ा हुआ है। इस प्रॉस्पेक्टस में, पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28 जून, 2004 थी। याचिकाकर्ताओं ने निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत किए। एआईईईई, 2004 का परिणाम जून, 2004 के अंतिम सप्ताह में घोषित किया गया था। याचिकाकर्ताओं के अंक, राज्य और अखिल भारतीय रैंक इस प्रकार हैं: -

| नाम | मार्क्स रैंक | एआईईईई-04 अंक | राज्य |
|---|---|---|---|
| जगत प्रीत कौर | 83/675 | 142864 | 2179 |
| मणि गर्ग | 72/675 | 159472 | 2348 |
| नरिंदर | 71/675 | 160090 | 3786 |
| संदीप सिंह | 96/675 | 124354 | 2940" |

(3) प्रतिवादी संख्या 1 के कुलपति ने आवेदनों की स्क्रीनिंग के लिए एक समिति का गठन किया। केवल उन्हीं आवेदकों को साक्षात्कार/परीक्षण के लिए बुलाया जाना था जिनके आवेदन प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित आवश्यकताओं और विशिष्टताओं के अनुरूप थे, जो 9 जुलाई, 2004 को आयोजित होने वाले थे। यह विशेष रूप से प्रदान किया गया था कि जो उम्मीदवार खुद को प्रस्तुत करने में विफल रहे थे 9 जुलाई, 2004 को प्रातः 9.00 बजे वास्तविक परीक्षण के लिए खेल श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। परीक्षण 9 जुलाई, 2004 को विधिवत आयोजित किए गए। योग्यता के अनुसार पात्र उम्मीदवारों के साथ-साथ अयोग्य उम्मीदवारों को दिखाते हुए एक सूची (अनुलग्नक पी -7) तैयार की गई थी। प्रतिवादी संख्या में सभी पाठ्यक्रमों में खिलाड़ियों के लिए 22 सीटें आरक्षित हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी के पाठ्यक्रम सहित 2 विभाग। इस सूची, अनुलग्नक पी-7 में, याचिकाकर्ताओं को क्रमांक 3, 14, 18 और 35 के रूप में स्थान दिया गया था। यही सूची काउंसलिंग के दिन यानी 22 जुलाई, 2004 को विभाग के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई थी। जब याचिकाकर्ता सुबह 9 बजे काउंसलिंग के लिए विभाग पहुंचे तो देखा कि नोटिस बोर्ड से सूची (अनुलग्नक पी-7) हटाई जा रही है। उन्हें बताया गया कि मेरिट दोबारा निर्धारित होने के कारण काउंसिलिंग दो घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने तुरंत शोर मचा दिया. ऐसा इसलिए था क्योंकि याचिकाकर्ताओं को बताया गया था कि अब विश्वविद्यालय ने योग्यता स्कोर के रूप में एआईईईई-2004 में न्यूनतम 15% अंक

प्राप्त करने का मानदंड तय किया है। न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को सूची से बाहर किया जा रहा था। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। प्रतिवादियों की कार्रवाई के खिलाफ, याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत वर्तमान रिट याचिका दायर की है। उन्होंने प्रतिवादी संख्या 3 से 9 केमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विभाग में प्रतिवादी संख्या 1 के विश्वविद्यालय के उत्तरदाताओं को दी गई स्वीकृति को भी चुनौती दी है।

(4) श्री पी.एस. पटवालिया याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि विश्वविद्यालय के मूल प्रॉस्पेक्टस में प्रवेश के लिए चयनित होने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने के मानदंड शामिल नहीं थे। यह शर्त प्रॉस्पेक्टस (अनुलग्नक पी-6) के प्रकाशन के बाद पेश की गई है, और इसलिए, कार्रवाई नहीं की जा सकती. प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस अदालत की पूर्ण पीठ के निर्णयों पर भरोसा किया **अमरदीप सिंह सहोता बनाम के मामले में प्रस्तुत किया गया। पंजाब राज्य और अन्य**[(1)] , और **राहुल प्रभाकर बनाम पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, जालंधर और अन्य**[(2)]। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा है कि एक बार याचिकाकर्ताओं के नाम सूची में डाल दिए जाने के बाद (अनुलग्नक पी-7), उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं को प्रवेश देने से इनकार करने से रोक दिया जाता है। उन्होंने पहले ही वह प्रवेश त्याग दिया था जो वे अन्य संस्थानों में प्राप्त कर सकते थे क्योंकि उन्हें प्रतिवादी संख्या 2-विभाग में प्रवेश दिए जाने का पूरा भरोसा था। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने एक
संक्षिप्त हलफनामा दायर किया है। ऐसा कहा जाता है कि अतीत में सभी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश को पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तर पर अंतिम रूप दिया गया था। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित किये गये जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 15% अंक या अधिक अंक प्राप्त किये थे। 15% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया गया। एस.सी./एस.टी. के प्रवेश हेतु छूट दी गई। उम्मीदवार। इन छात्रों के लिए न्यूनतम कट-ऑफ अंक 10% था। शैक्षणिक सत्र 2004-2005 में पहली बार, प्रवेश सी.बी.एस.ई. द्वारा आयोजित एआईईईई परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर किए गए थे। हालाँकि, सी.बी.एस.ई. का प्रॉस्पेक्टस। सामान्य प्रवेश परीक्षा में पिछले प्रतिशत के संबंध में चुप था। इसलिए, कुलपति ने विश्वविद्यालय में प्रवेश के सभी मामलों पर विचार करने के लिए प्रवेश से काफी पहले एक संयुक्त प्रवेश समिति का गठन किया। समिति की बैठक 14 जुलाई,

---

( 1) 1993 (4) एस.एल.आर. 673

( 2) 1997 (5) एस.एल.आर. 163

2004 को हुई और उसने विश्वविद्यालय प्राधिकरण को कुल कट-ऑफ के रूप में 15% अंक निर्धारित करने की सिफारिश की। एस.सी./एस.टी. के लिए कुल 10% की रियायत की सिफारिश की गई थी। उम्मीदवार। 22 जुलाई, 2004 को कुलपति द्वारा सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। एनआरआई उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों के लिए 10% का प्रतिशत भी स्वीकार किया गया, जिन्हें संबंधित पद के लिए बहुत अधिक शुल्क और व्यय का भुगतान करना पड़ता था। याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई है क्योंकि उन्होंने कुल मिलाकर 15% कट-ऑफ अंक प्राप्त नहीं किए हैं। कट-ऑफ मानदंड खेल श्रेणी सहित सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू किया गया है।

(5) उत्तरदाताओं-विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रैना ने प्रस्तुत किया है कि उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया निर्णय न तो मनमाना है, न ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

(6) हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है। अमरदीप सिंह सहोता (सुप्रा) के मामले में, पूरे मामले की जांच के बाद, इसे पूर्ण पीठ द्वारा स्पष्ट रूप से निम्नानुसार माना गया है: -

"12. जिस मानदंड पर खेल कोटा के तहत प्रवेश किया जाना चाहिए वह विभिन्न मामलों में इस अदालत में चुनौती का विषय रहा है। मिस मनिंदर कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1985 पंजाब और हरियाणा 46 में, नीति राज्य सरकार द्वारा 11 जनवरी, 1962 को खेल कोटा के तहत प्रवेश के संबंध में लिया गया निर्णय विचाराधीन रहा। इस नीतिगत निर्णय के तहत राज्य ने खिलाड़ियों को चार ग्रेडों में वर्गीकृत किया था। ग्रेड-ए अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से संबंधित; ग्रेड राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को -बी; राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ग्रेड-सी और राज्य का दर्जा हासिल किए बिना अपने कॉलेज, स्कूल, संस्थान आदि के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों को ग्रेड-डी। छात्रों को वेटेज के रूप में दिया गया था लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत। यह वेटेज खिलाड़ियों/खिलाड़ियों के संबंध में प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ा गया था और फिर योग्यता निर्धारित की गई थी और तदनुसार प्रवेश किया गया था। है। तिवाना, जे., जैसा कि वह उस समय थे, जिन्होंने उस मामले का फैसला किया था कि इन प्रवेशों के प्रयोजनों के लिए अधिकारियों

के साथ केवल विचार ही होना चाहिए, इन उम्मीदवारों की क्षेत्र में उनके खेल के प्रदर्शन प्रकाश में रेटिंग होनी चाहिए। । उनके अनुसार, प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक पूरी तरह से अप्रासंगिक थे और उम्मीदवारों को पूरी तरह से उस रेटिंग के आधार पर प्रवेश दिया जाना चाहिए जो उन्होंने खेल में नीतिगत निर्णय के तहत प्राप्त की थी। मनिंदर कौर (सुप्रा) का निर्णय रणबीर सिंह बनाम थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला, एआईआर 1988 पंजाब और हरियाणा 51: (1987(4) एसएलआर 233 (एससी) के मामले में विचार के लिए आया, जो विचार लिया गया। आई.एस. तिवाना, जे. को डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया। बेंच ने की नीति को बरकरार रखा राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों के खिलाड़ियों को उनके खेल ग्रेडेशन प्रमाणपत्रों के आधार पर 10%, 5%, 3% और 2% अंक जोड़कर वेटेज दे रही है। इस फैसले में मनिंदर कौर (सुप्रा) के मामले को खारिज कर दिया गया। खंडपीठ ने माना कि विद्वान न्यायाधीश ने इस तथ्य की सराहना नहीं की है कि एक छात्र एक पेशेवर कॉलेज में प्रवेश मांग रहा था, न कि किसी स्पोर्ट्स कॉलेज में। ऐसे प्रोफेशनल कॉलेज में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवार का एक अच्छा शैक्षणिक करियर होना चाहिए अन्यथा उसके लिए इसमें उत्तीर्ण होना संभव नहीं होगा। आगे यह देखा गया कि यदि परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस मामले का अनुपात निर्णय यह है कि किसी पेशेवर कॉलेज में प्रवेश के लिए निस्संदेह खेल में योग्यता पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन एक परीक्षा में प्राप्त अंकों को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए और छात्र के पास एक अच्छा शैक्षणिक कैरियर एक प्रोफेशनल कॉलेज में भर्ती होने से पहले होना चाहिए। सिद्धांत रखा. मनिंदर कौर के मामले में (सुप्रा) कि केवल खेल में योग्यता पर विचार किया जाना चाहिए, बेंच द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

मिस चेतना शर्मा एवं अन्य बनाम यू.टी., चंडीगढ़ एवं अन्य, 1992(1) एस.एल.आर. 1, इसमें शामिल प्रश्न एक इंजीनियरिंग कॉलेज में खेल श्रेणी के तहत आरक्षण के संबंध में था। रणबीर सिंह (सुप्रा) के मामले में निर्धारित सिद्धांत को इस न्यायालय की खंडपीठ ने यह कहते हुए फिर से स्वीकार कर लिया कि शैक्षणिक प्रदर्शन के अतिरिक्त अंकों का वेटेज उचित और उचित था और इस संबंध में राज्य सरकार की नीति अवैध नहीं थी। .

मिस दलजीत कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य एआईआर 1990 पंजाब और

हरियाणा 176 में, खेल कोटा में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण के संबंध में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का मामला फिर से विचार के लिए आया और सवाल यह था कि प्रतिस्पर्धा कैसे की जाए शैक्षणिक उत्कृष्टता और खेल के दावे खिलाड़ियों के पक्ष में आरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता का समाधान किया जाना चाहिए। न्यायालय ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि अकादमिक उत्कृष्टता को आरक्षित श्रेणियों के लिए भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह माना गया कि जब मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों का उत्पादन करना है, न कि खिलाड़ियों का, तो उस संबंध में सरकार की नीति अकादमिक रूप से अच्छे डॉक्टरों को प्राप्त करने के लिए उन्मुख है, लेकिन कुछ हिस्सों में सहनीय सीमा के भीतर जुड़ी हुई है। आगे यह माना गया कि कोई ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता जब डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाला उम्मीदवार अपनी इच्छानुसार डॉक्टर बनने के लिए खेल का रास्ता अपनाए। बल्कि खेल की प्रवृत्ति ही उसे खिलाड़ी बनाती है। खेल श्रेणी में उम्मीदवार के रिश्तेदार के साथ संयुक्त रूप से न्यूनतम पात्र 35 प्रतिशत अंक निर्धारित करने वाली सरकार की नीति को वैध माना गया। विपरीत तर्क स्वीकार नहीं किया गया।

इस मामले में भी, खेल में उत्कृष्टता के अलावा, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के संबंध में छात्रों के बीच सापेक्ष योग्यता पर भी ध्यान दिया गया और प्रवेश में न्यूनतम अंक प्राप्त करने के संबंध में सरकार की नीति को बरकरार रखा गया। इंतिहान। 1993(1) एसएलआर 123 (एससी) में रिपोर्ट किए गए संदीप बराड़ और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले में, माननीय कुलदीप सिंह, जे. ने माना है कि रिजर्व में प्रवेश के लिए पद्धति खिलाड़ियों/खिलाड़ियों के लिए सीटें आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित करना राज्य कार्यकारिणी का कार्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। यदि सरकारी निर्देशों की वैधता को चुनौती दी जाती है, तो न्यायालय उसकी जांच कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया को प्रवेश पर लागू करने का निर्देश देना उचित नहीं होगा। सिद्धांत रूप में, इसलिए, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि खिलाड़ियों के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए नीति बनाना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है। किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेते समय खिलाड़ि । परिणामस्वरूप हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या 7/12 जून, 1991 के

निर्देशों द्वारा निर्धारित नीति एक वैध नीति थी या यह किसी कानूनी कमजोरी से ग्रस्त है। हालाँकि, इस स्तर पर, यह बताना उचित होगा कि संदीप बराड़ (सुप्रा) में इस सवाल पर विस्तृत तर्क दिए गए थे कि क्या अकादमिक उत्कृष्टता या खेल के क्षेत्र में उपलब्धियाँ मुख्य विचार होनी चाहिए। लेकिन इस प्रश्न को अदालत ने उचित मामले में निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया था।

XXX XXX XXX XXX

14. मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजों में पाठ्यक्रम करने वाले छात्र, जो तकनीकी विषय हैं, को एक अकादमिक दिमाग की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंततः इन पेशेवर कॉलेजों से डिग्री प्राप्त करने के बाद, वे मानवता की सेवा करते हैं। खेल को प्रवेश के लिए एकमात्र मानदंड बताने वाली सरकार की नीति को खारिज नहीं किया जा सकता है। यह जनहित के विरुद्ध और पूर्णतः मनमाना होगा। खेल कोटा में प्रवेश के लिए खेलों में उत्कृष्टता एक बहुत महत्वपूर्ण विचार हो सकता है लेकिन छात्रों को डिग्री प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम शैक्षणिक मानक भी आवश्यक है।"

(7) उपरोक्त से, यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यूनतम पात्रता मानदंड निर्धारित करने को बार-बार और सशक्त रूप से अनुमोदित किया गया है। हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि याचिकाकर्ताओं के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है। उत्तरदाताओं द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि पहले के वर्षों में, न्यूनतम योग्यता अंक हमेशा 15% रखे गए थे। यह स्थिति सभी अभ्यर्थियों को भली-भांति ज्ञात थी। याचिकाकर्ता ने स्वयं कहा है कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रॉस्पेक्टस में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया था कि न्यूनतम कट-ऑफ कुल 15 अंक होगा। उत्तरदाताओं-विश्वविद्यालय ने केवल वे मानदंड पेश किए हैं जो न्यूनतम शैक्षणिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करते हैं जो एक छात्र के लिए आवश्यक होगी जो अंततः इंजीनियर बन सके। अमरदीप सिंह सहोता के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ ने स्पष्ट रूप से माना है कि ये हैं छात्र जो अंततः मानवता की सेवा करेंगे। खेलों में उत्कृष्टता एक प्रासंगिक विचार हो सकता है, लेकिन एक निश्चित न्यूनतम शैक्षणिक मानक बनाए रखना आवश्यक है।

(8) निस्संदेह, अमरदीप सिंह सहोता के मामले (सुप्रा) में, पूर्ण पीठ ने देखा है कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता प्रवेश परीक्षा से पहले जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस के अनुसार देखी जानी चाहिए। आगे यह माना गया है कि प्रॉस्पेक्टस कानून की शक्ति है। पंजाब राज्य इसके विपरीत निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। लेकिन उपरोक्त मामले में इसके विपरीत बाद के निर्देशों ने न्यूनतम पात्रता मानदंड को हटा दिया था। सत्र 1992-93 के लिए एमबीबीएस/बीडीएस/बीएएमएस (आयुर्वेदाचार्य) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजाब राज्य द्वारा जारी 20 मई 1992 के निर्देशों में प्रावधान किया गया था कि सभी तीन मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश एक प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षा आयोजित करके किया जाएगा। परीक्षा (पीएमटी)। अधिसूचना का खंड III (ए) उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करता है। यह खंड III (ए) प्रॉस्पेक्टस के पैराग्राफ 4.2 (ए) (आई) में सटीक रूप से उद्धृत किया गया था। उपरोक्त पैराग्राफ इस प्रकार था:-

> (ए) (i) प्रवेश प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा (पीएमटी) के परिणाम के आधार पर निर्धारित उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता के आधार पर किया जाएगा। आरक्षित सीटों के मामले में उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता आरक्षण की प्रत्येक श्रेणी के भीतर निर्धारित की जाएगी। खिलाड़ियों/खिलाड़ियों की आरक्षित श्रेणी में, प्रवेश पंजाब सरकार शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 47/26/83- के अनुसार खेल विभाग, पंजाब द्वारा किए गए उनके ग्रेडेशन के आधार पर योग्य उम्मीदवारों में से किया जाएगा। 5 शिक्षा. (ए) 5/1490, दिनांक 7 जून, 1991/12 जून, 1991। रक्षा कर्मियों के बच्चों/विधवाओं की आरक्षित श्रेणी में, पैरा III (सी) इन्फ्रा में उल्लिखित उप-श्रेणी vi(2) के उम्मीदवार होंगे। केवल तभी प्रवेश दिया जाए जब उप-श्रेणी- vi(l) के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न हों। पात्र उम्मीदवारों के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बाद में सूचित किए जाएंगे।"

(9) इस पैराग्राफ में यह विशेष रूप से प्रदान किया गया था कि पात्र उम्मीदवारों के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बाद में सूचित किए जाएंगे। न्यूनतम अंकों को अधिसूचित करने के बजाय, राज्य सरकार ने 20 मई, 1992 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए 13 जुलाई, 1992 को एक और अधिसूचना जारी की, जो इस प्रकार है: -

> "III (1) प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा (पीएमटी) के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों की शर्त को हटा दिया गया है और एमबीबीएस/बीडीएस/बीएएमएस में प्रवेश सख्ती से प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्धारित उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता

के अनुसार किया जाएगा। पीएमटी)। आरक्षित सीटों के मामले में उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता आरक्षण की प्रत्येक श्रेणी के भीतर निर्धारित की जाएगी।

2. अन्य नियम और शर्तें वही रहेंगी जो पहले ही 20 मई, 1992 को अधिसूचित की गई थीं।"

(10) यह न्यूनतम योग्यता की छूट थी जिसे याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी। यह इन परिस्थितियों में था कि पूर्ण पीठ ने माना कि कुछ अन्य छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए छात्रों के नुकसान के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी करने के बाद पात्रता की शर्तों को नहीं बदला जा सकता है। वर्तमान मामले में परिस्थितियाँ विपरीत हैं। विश्वविद्यालय-प्रतिवादी नंबर 1 ने केवल न्यूनतम योग्यता अंक फिर से प्रस्तुत किए हैं जिन्हें पेशेवर कॉलेजों से डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की पात्रता के लिए योग्यता के निर्धारण के लिए एक आवश्यक कारक माना गया है। इसे अयोग्य उम्मीदवारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए पेश नहीं किया गया है। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है कि केवल योग्य उम्मीदवारों को ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाए। अन्यथा भी, हम यहां कानून के उन तीन प्रश्नों पर भी गौर कर सकते हैं जिन्हें अमरदीप सिंह सहोता के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ को भेजा गया था। संदर्भित तीन प्रश्न इस प्रकार थे:-

"2. ............. ................ ................

(1) क्या खेल श्रेणी में प्रवेश पूरी तरह से खेल में उपलब्धियों के आधार पर या 7/12 जून, 1991 के निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए (2) या उनकी योग्यता परस्पर उसी ग्रेड में निर्धारित की जानी चाहिए प्रवेश-पूर्व परीक्षा (3) में उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए या क्या उन व्यक्तियों को प्राथमिकता देना, जिन्होंने सीनियर टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में भाग लिया था, उन लोगों पर जिन्होंने जूनियर या स्कूल चैंपियनशिप में भाग लिया था, नोट 1 से पैरा 3 में सन्निहित है। दिनांक 7/12 जून, 1991 का निर्देश एक वैध वर्गीकरण है।"

(17) पूर्ण पीठ ने उपरोक्त तीन प्रश्नों के उत्तर दिए, जो इस प्रकार थे:-

"21. ............. ................ ................

(i) खेल श्रेणी में प्रवेश केवल खेल में उपलब्धियों के आधार पर नहीं किया

जाना चाहिए, बल्कि यह दिनांक 7/12 जून, 1991 के निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

(ii) दिनांक 7/12 जून, 1991 के निर्देशों के अनुसार खेल में प्राप्त सापेक्ष योग्यता के साथ न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों को छोड़कर, योग्यता अंतर को उसी ग्रेड में निर्धारित किया जाना चाहिए।

(iii) कनिष्ठों के लिए वरिष्ठों को प्राथमिकता एक वैध वर्गीकरण है और 7/12 जून, 1991 के निर्देशों को उस आधार पर अमान्य नहीं माना जा सकता है।"

(12) उपरोक्त निष्कर्षों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि खेल कोटा में प्रवेश उन छात्रों को छोड़कर किया जाना था, जिन्हें न्यूनतम योग्यता अंक नहीं मिले थे। इस प्रकार, खेल श्रेणी में भी परस्पर योग्यता पूरी तरह से खेल में उपलब्धियों के आधार पर आधारित नहीं है। खेल में उत्कृष्ट उपलब्धियों का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने होंगे।

(13) उपरोक्त के मद्देनजर, हमारी राय है कि अमरदीप सिंह सहोता के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ की टिप्पणियों से याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए मामले में कोई सहायता नहीं है।

(14) नतीजतन, हमें वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली और इसे खारिज कर दिया गया। कोई लागत नहीं.

---

*आर.एन.आर.*

**अस्वीकरण** :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रिंस कुमार

*प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी*